शमीमा फारूकी

बनाम

शाहिद खान

आपराधिक अपील संख्या 2015 का 564-565

06 अप्रैल 2015

दीपक मिश्रा और प्रफुल्ल सी. पंत, जे.जे.

एस.125- तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं द्वारा भरण.पोषण का दावा. पारिवारिक न्यायालय द्वारा दायर किया गया रुण् आवेदन की तिथि से आदेश की तिथि तक मासिक रखरखाव के रूप में 2500/-. रुण् आदेश की तारीख से पुनर्विवाह की तारीख तक 4,000/- प्रति माह उच्च न्यायालय ने रुपये के अनुदान को बरकरार रखा। आवेदन की तारीख से तारीख या आदेश तक मासिक रखरखाव के रूप में 2,500/-. रुपये . हालांकिए रखरखाव को रुपये से कम कर दिया गया। 4,000/-. से रुण् आदेश की तारीख से पुनर्विवाह की तारीख तक 2,000/-. अपील परए फैसला सुनाया गयारू उच्च न्यायालय ने पारिवारिक न्यायाधीश के दृष्टिकोण को सही ठहराया. हालांकिए गुजारा भत्ता में से 2,000 रुपये की कटौती की गई। 4,000/-. से रुण् 2,000/- टिकाऊ नहीं उच्च न्यायालय ने सेवानिवृत्ति के बाद राशि कम करके पति के प्रति अत्यधिक सहानुभूति दिखाई केवल इसलिए कि पति सेवानिवृत्त हो गयाए भरण.पोषण में 50 प्रतिशत की

कटौती करने का कोई औचित्य नहीं था .न्यायालय द्वारा किए गए दावों से अनजान नहीं हो सकता अपीलकर्ता.अपनी पत्नी का भरण.पोषण करना पति का दायित्व है. उसे यह दलील देने की अनुमति नहीं दी जा सकती कि जब तक वह कमाने में सक्षम है तब तक वह वित्तीय बाधाओं के कारण पत्नी का भरण.पोषण करने में असमर्थ है. उच्च न्यायालय राशि कम करते समय इस बात से अनभिज्ञ हो गया तथ्य यह है कि पत्नी को अपने दम पर रहना है भरण.पोषण का मतलब केवल जीवित रहना नहीं है और इसे कभी भी अनुमति नहीं दी जा सकती है . धारा 125 के तहत भरण.पोषण पर्याप्त होना चाहिए ताकि वह सम्मान के साथ जी सके जैसे कि वह अपने घर में रहती। वैवाहिक घर.उसे निराश्रित या भिखारी बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है. इस प्रकारए उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया जाता है और पारिवारिक न्यायालय को बहाल कर दिया जाता है।

धारा 125. वस्तु और सिद्धांत. धारितरू धारा के पीछे सिद्धांत। 125 मामलों की वित्तीय स्थिति में सुधार के साथ.साथ मानसिक पीड़ा और पीड़ा में सुधार के लिए है जो महिला तब झेलती है जब उसे अपना वैवाहिक घर छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है . जब पत्नी को धारा 125 के मापदंडों के भीतर भरण.पोषण देने की हकदार माना जाता हैए तो उसे यह करना होगा पर्याप्त हो ताकि वह सम्मान के साथ जी सके जैसे कि वह अपने वैवाहिक घर में रहती थी . उसे निराश्रित या भिखारी बनने

के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है . धारा 125 के तहत आदेश पारित किया जा सकता है यदि कोई व्यक्ति पर्याप्त साधन होने के बावजूद उपेक्षा करता है या इनकार करता है पत्नी का भरण.पोषण करें. यदि पति स्वस्थ हैए सक्षम शरीर है और खुद का भरण.पोषण करने की स्थिति में हैए तो वह अपनी पत्नी का भरण.पोषण करने के लिए कानूनी दायित्व के तहत हैए क्योंकि धारा 125 के तहत भरण.पोषण प्राप्त करना पत्नी का अधिकार हैए जब तक कि वह अयोग्य न होए पूर्ण अधिकार है।

न्यायिक अवमूल्यनय गुजारा भत्ता देने के लिए सीआरपीसी की धारा 125 के तहत आवेदन दायर किया गयाए लेकिन दायर नहीं किया गयाए लेकिन 14 वर्षों तक निर्णय नहीं लिया गयारू यह चिंताजनक और चौंकाने वाला है कि अंतरिम गुजारा भत्ता देने के लिए कोई आदेश नहीं था .गुजारा भत्ता देने के लिए आवेदन का निपटारा किया जाना है। जल्द से जल्द . सीआरपीसी की धारा 125 के तहत आवेदन सहित वैवाहिक विवादों से निपटने के लिए स्थापित पारिवारिक अदालतें इसके प्रति बिल्कुल उदासीन हो गई हैंए देरी या तो पार्टियों के अनियंत्रित मतभेद या न्यायाधीशों द्वारा दिखाई गई सुस्ती और उदासीनता के कारण होती है . ऐसा होना चाहिए एक सक्रिय दृष्टिकोण होना चाहिए और उक्त दृष्टिकोण को उच्च न्यायालयों के अधीन न्यायिक अकादमियों के माध्यम से पारिवारिक न्यायालय के न्यायाधीशों में स्थापित किया जाना चाहिए।

एच अनिता रानीण् बनाम राकेशपाल सिंग 1991 ;2,(अपराध 725 सभी,) धर्मेन्द्र कुमार गुप्ता बनाम चन्द्र प्रभास देवी 1990 सीआरण्एलण्जेण्ए 1884 राकेश कुमार दीक्षा बनाम जयंती देवी 1999 2, (जेआईसी 323 ;एसीसीद्ध आशुतोष त्रिपाठी बनाम यूपी राज्य। 1999 2,)763 ए इलाहाबाद जेण्आईण्सीण् पारस नाथ कुर्मी बनाम सत्र न्यायाधीश 1999 2,(जेआईसी 522 सभीरू सरताज बनाम राज्य यूण्पीण् और अन्य 2000 2,) जेआईसी 967 सभीय शमीम बानो बनाम असरफ खान 2014 4,(एससीआर 844 2014,) 12 एससीसी 636 डेनियल लतीफी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2001 3,(सप्ल। एससीआर 419 ;2001) 7 एससीसी 7 चतुर्भुज बनाम सीता बाई 2007 ;12(एससीआर 577 ;2008) 2 एससीआर 316 चंद्र प्रकाश बोधराज बनाम शिला रानी चंद्र प्रकाश एआईआर 1968 दिल्ली 174 संदर्भित।

केस कानून संदर्भ

1991(2) अपराध 725 सभी पैरा 7 में संदर्भित

1990 सी आर एल.जे.1884 सभी पैरा 7 में संदर्भित

1999(2) जे आई सीए 323 (एसीसी) सभी पैरा 7 में संदर्भित

1999(2)763 ए इलाहाबाद जे आई सी सभी पैरा 7 में संदर्भित

1999 (2) जे आई सी 522 ऑल सभी पैरा 7 में संदर्भित

2000 (2) जे आई सी 967 ऑल सभी पैरा 7 में संदर्भित

2014 (4) एस सी आर 844 सभी पैरा 10 में संदर्भित

2001 (3) पूरक। एस सी आर 419 सभी पैरा 10 में संदर्भित

(2014) 12 एस सी सी 646 सभी पैरा 10 में संदर्भित

एआईआर 2014 एस सी 2875 सभी पैरा 12 में संदर्भित

1997(3) सप्ल. एससी 2875 सभी पैरा 15 में संदर्भित

2007(12) एस सी आर 577 सभी पैरा 16 में संदर्भित

ए आई आर 1968 देहली 174 सभी पैरा 17 में संदर्भित

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकाररू आपराधिक अपील संख्याण् 2015 का 564.565 आपराधिक पुनरीक्षण संख्या में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 17.09.2013 और 26.03.2014 से। 2012 का 134 और सी एम ए नंण् 2013 के 106544 में फौजदारी पुनरीक्षण क्रमांकण् 2012 का 134 अपीलकर्ता के लिए डॉ. जे एन दुबे, अनुराग दुबे, अनु साहनी, मीनेश दुबे, एस आर सेतिया।

अदालत का फैसला दीपक मिश्रा जे द्वारा सुनाया गया।

1. छुट्टी मंजूर की गई

जब सदियों पुरानी रुकावटें हटा दी जाती हैंए तो सदियों पुरानी बेड़ियाँ या तो जल जाती हैं या अपनी ताकत खो देती हैंए जंजीरों में जंग लग जाती हैए और मानवीय प्रतिभाओं और गुणों के प्रति उदासीनता नहीं

बरती जाती है और ष्स्वतंत्र पहचानष् पर जोर दिया जाता हैए न कि ष्संलग्न पहचानष् पर। और आज की महिलाएं शालीनता और साहसपूर्वक अपने कानूनी अधिकारों का दावा कर सकती हैं और अस्पष्ट रूढ़िवाद से बंधने से इनकार कर सकती हैंए और आगे चलकर ष्वस्तु के सिद्धांतष् और ष्वस्तु विनिमय प्रणालीष् का बहिष्कार करने के लिए खुद को निष्ठापूर्वक सीखनेए आलोचना करने के लिए प्रतिबद्ध कर सकती हैं। और प्रतिबद्ध संवेदनशीलता के साथ कुछ सिद्धांतों को स्वीकार करते हुए और सभी प्रासंगिक और संबंधित मुद्दों में भाग लेते हुएए नवोन्मेषी बहु.मार्ग प्रशस्त करने के लिए कोई वारंट या औचित्य या आवश्यकता नहीं हैए जिसे कानून स्वीकार नहीं करता है या अनुमोदन की मुहर नहीं लगाता है। शिष्टताए मानवीय अहंकार की विकृत भावनाए और सामंती महापापपूर्ण विचारों की पकड़ या उस मामले के लिएए किसी भी प्रकार के कृपालु रवैये के लिए कोई जगह नहीं है। उन्हें प्राचीन जंगलों में भेजा जाना तय हैए और नए क्षितिज में लोगों को अपने विचारों और अधिकार का प्रचार करना चाहिए। उन्हें यह कहने में सक्षम होना चाहिए कि वे आधुनिक युग के व्यक्ति हैं और उनके पास आज के ष्भारतष् के विचार हैं। कोई भी अन्य विचार या पुरुष अंधराष्ट्रवाद के आह्वान में गाया गया कोई भी गीत एक विदेशीए एक पूर्ण अजनबी एक बाहरी व्यक्ति का प्रस्ताव है। यही अनिवार्यतः सत्य है।

इन अपीलों के निर्णय के लिए जो तथ्य बताए जाने आवश्यक हैंए वे यह हैं कि अपीलकर्ता ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता ;सीआरपीसीद्ध की धारा 125 के तहत एक आवेदन दायर किया हैए जिसमें अन्य बातों के साथ.साथ यह भी कहा गया है कि उसने 26 अप्रैल को प्रतिवादी शाहिद खान से शादी की थी। 1992 और वैवाहिक घर में रहने के दौरान उसे दूसरों से बात करने से रोक दिया गया और पति ने न केवल परिवार से एक कार की मांग की बल्कि उसे परेशान करना भी शुरू कर दिया। एक समय ऐसा आया जब उन्होंने उसे मायके भेज दिया जहां उसे लगभग तीन महीने तक रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। उदासीन पति उसे वैवाहिक घर वापस ले जाने नहीं आयाए लेकिन वह इस स्नेहपूर्ण और दृढ़ आशा के साथ लौटी कि विवाह का बंधन कायम रहेगा और प्यार और शांति के साथ मजबूत होगाए लेकिन दुर्भाग्य सेए उसकी मांग बढ़ गई। वाहन जारी रहा और मांग पूरी करने के लिए उत्पीड़न को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया। कुछ समय बाद उसे पता चला कि उसके पति का किसी अन्य महिला के साथ अवैध संबंध है और वह उससे शादी करना चाहता है। सामान्य तौर पर मानवीय जिज्ञासा और पत्नी के अधिकार को समझने पर जब उसने उससे पूछा तो उसके साथ मारपीट की गई। स्थिति धीरे.धीरे बिगड़ती गई और उसके लिए वैवाहिक घर में रहना असहनीय हो गया। उस समयए उसने अपने माता.पिता से मदद मांगीए जो आए और उसे लखनऊ स्थित पैतृक घर ले गएए जहां उसने इलाज कराया। परित्याग और

दुर्व्यवहार के कारण और एक तरह से भय मनोविकृति से पीड़ित होकर उसने अपने माता.पिता के घर में आश्रय लिया और जब पुनर्मिलन की उसकी सारी उम्मीदें टूट गईंए तो उसने 4000 रुपये की दर से भरण.पोषण अनुदान के लिए एक आवेदन दायर किया। ध्. प्रति माह इस आधार पर कि पति सेना में नायक के पद पर कार्यरत थे और अन्य भत्तों के अलावा लगभग 10000 रुपये वेतन पा रहे थे।

भरण-पोषण अनुदान के आवेदन का पति ने दहेज की मांग और उत्पीड़न से संबंधित सभी तर्कों को खारिज करते हुए अत्यधिक सख्ती से विरोध किया और आगे आरोप लगाया कि उसने पहले ही 18ण्6ण्1997 को उसे तलाक दे दिया था और उसे मेहर का भुगतान भी कर दिया था। इस पर पत्नी की ओर से जवाब दाखिल कर कहा गया कि उसे न तो तलाक की जानकारी थी और न ही उसे मेहर की रकम मिली थी।

विद्वान पारिवारिक न्यायाधीश के समक्ष कार्यवाही के दौरान अपीलकर्ता पत्नी ने स्वयं और एक अन्य की जांच कीए और प्रतिवादी.पति ने खुद सहित चार गवाहों की जांच की। विद्वान पारिवारिक न्यायाधीशए पारिवारिक न्यायालयए लखनऊ ने विषय वस्तु आपराधिक मामला संख्या 1120ए 1998 के आवेदन पर विचार करते समय सीआरपीसी की धारा 125 के तहत रखरखाव के संबंध में प्राथमिक आपत्ति को स्वीकार नहीं किया क्योंकि आवेदक एक मुस्लिम महिला थी और पकड़ में आई थी।

तलाक के बाद भी सीआरपीसी की धारा 125 के तहत पत्नी का आवेदन फैमिली कोर्ट में विचारणीय था। इसके बादए विद्वान पारिवारिक न्यायाधीश ने रिकॉर्ड पर लाए गए सबूतों की सराहना करते हुए यह राय दी कि दोनों पक्षों के बीच विवाह 26-4-1992 को हुआ थाय कि पति ने 18-6-1997 को तलाक दे दिया थाय कि उसके वैवाहिक घर में उसके साथ बुरा व्यवहार किया गयाय और वह अपने माता.पिता के घर वापस आ गई है और वहीं रह रही हैय कि पति ने गुजारा भत्ता देने का कोई प्रावधान नहीं किया थाय कि पत्नी के पास अपनी जीविका चलाने के लिए आय का कोई स्रोत नहीं थाए और पति द्वारा दी गई यह दलील कि उसके पास अपना भरण.पोषण करने के लिए साधन थेए साबित नहीं हुई हैय चूंकि आवेदन के निस्तारण के समय पति को वेतन प्रमाण पत्र के अनुसार 17654/. रुपये मिल रहे थे और तदनुसार निर्देश दिया गया कि आवेदन जमा करने की तिथि से मासिक भरण.पोषण भत्ते के रूप में 2500/. रुपये का भुगतान किया जाना चाहिए। फैसले की तारीख तक और उसके बाद फैसले की तारीख से पुनर्विवाह की तारीख तक 4000/- रुपये प्रति माह।

विद्वान पारिवारिक न्यायाधीश द्वारा पारित उपरोक्त आदेश को आपराधिक पुनरीक्षण में उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गईए जिसमें उच्च न्यायालय ने तथ्यों पर विचार करने के बाद अनीता रानी बनाम राकेशपाल सिंहख्1,ए धर्मेंद्र कुमार गुप्ता बनाम चंदर में दिए गए निर्णयों का हवाला दिया। प्रभा देवीख्2, राकेश कुमार दीक्षित बनाम जयंती देवीख्3,

आशुतोष त्रिपाठी बनाम यूपी राज्यख्4, पारस नाथ कुर्मी बनाम सत्र न्यायाधीशख्5, और सरताज बनाम यूपी राज्य। और अन्यख्6, और यह निष्कर्ष निकला कि हालांकि विद्वान प्रधान न्यायाधीशए फैमिली कोर्ट ने आवेदन की तारीख से भरण.पोषण देने का कोई कारण नहीं बताया हैए फिर भी जब भरण.पोषण का मामला वर्ष 1998 में दायर किया गया था तो 17-2-2012 को फैसला सुनाया गया और अंतरिम भरण.पोषण के लिए कोई आदेश नहीं थाए आवेदन की तारीख से मासिक भरण.पोषण के रूप में 2500/. रुपये का अनुदान न तो अवैध था और न ही अत्यधिक। उच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि पति 1-4-2012 को सेवानिवृत्त हो गया था और परिणामस्वरूप अपीलकर्ता के पुनर्विवाह तक 1-4-2012 से भरण-पोषण भत्ता घटाकर 2000 रुपये कर दिया। इस दृष्टिकोण से विद्वान एकल न्यायाधीश ने परिवार न्यायालय द्वारा पारित आदेश को संशोधित किया। इसलिएए पत्नी के कहने पर विशेष अनुमति द्वारा वर्तमान अपील।

हमने डॉण् जे-एन- को सुना है। दुबेए अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील। नोटिस की तामील के बावजूद कोई भी प्रतिवादी की ओर से उपस्थित नहीं हुआ।

विद्वान वरिष्ठ वकील डॉण् दुबे द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि सीआरपीसी की धारा 125 मुस्लिम महिलाओं पर लागू होती है और

पारिवारिक न्यायालय के पास इस मुद्दे पर निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र है। उनके द्वारा आग्रह किया गया है कि उच्च न्यायालय ने यह कहकर गलती की है कि 4,000/-. रुपये प्रति माह की दर से भरण.पोषण का अनुदान अत्यधिक है और इसलिएए इसे घटाकर 2000/-. रुपये प्रति माह किया जाना चाहिए। पति की सेवानिवृत्ति की तारीख यानी 1.4.2012 से उसके पुनर्विवाह तक। यह भी तर्क दिया गया है कि उच्च न्यायालय अपीलकर्ता की दुर्दशा को समझने में विफल रहा और राशि कम कर दी और इसलिएए विवादित आदेश कानून में समर्थित नहीं है।

सबसे पहले, हम तलाकशुदा मुस्लिम महिला पर सीआरपीसी की धारा 125 की प्रयोज्यता से निपटने का इरादा रखते हैं। शमीम बानो बनाम असरफ खानख्7, मेंए इस न्यायालय ने डेनियल लतीफी बनाम भारत संघ 8, और खातून निसा बनाम यूपी राज्य 9, में संविधान पीठ के फैसलों का हवाला दिया। इस प्रकार राय दी थी

उपरोक्त सिद्धांत स्पष्ट रूप से बताता है कि अधिनियम के प्रावधानों के तहत एक आवेदन दायर किए जाने के बाद भीए अधिनियम के तहत मजिस्ट्रेट के पास तलाकशुदा मुस्लिम महिला के पक्ष में भरण.पोषण देने की शक्ति है और मानदंड और विचार निर्धारित के समान हैं। संहिता की धारा 125 मेंण् हम ध्यान दे सकते हैं कि तथ्यात्मक स्कोर पर ध्यान देते हुए कि तलाक की याचिका मजिस्ट्रेट द्वारा स्वीकार नहीं

की गई थी जिसे उच्च न्यायालय ने बरकरार रखा थाए संविधान पीठ ने कहा कि मजिस्ट्रेट संहिता की धारा 125 के तहत शक्ति का प्रयोग कर सकता है। अधिनियम के तहत एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला के पक्ष में गुजारा भत्ता देने के आदेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकारए संहिता की धारा 125 के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा शक्ति को बनाए रखने और अंतिम परिणाम के प्रभाव पर जोर दिया गया था।

हाल ही में, शबाना बानो बनाम इमरान खान-10, मामले मेंए दो न्यायाधीशों वाली बेंच ने डेनियल लतीफी ;सुप्रा) पर भरोसा करते हुए फैसला सुनाया है कि

सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अपीलकर्ता की याचिका पारिवारिक न्यायालय के समक्ष तब तक विचारणीय रहेगी जब तक अपीलकर्ता पुनर्विवाह नहीं करता है। सीआरपीसी की धारा 125 के तहत दिए जाने वाले भरण.पोषण की राशि को केवल इद्दत अवधि तक सीमित नहीं किया जा सकता है।

यद्यपि उपरोक्त निर्णय पारिवारिक न्यायालय अधिनियमए 1984 की धारा 7 की व्याख्या करते हुए दिया गया थाए फिर भी उसमें कहा गया सिद्धांत लागू होगाए क्योंकि यह खातून निसा ;सुप्रा) में संविधान पीठ द्वारा बताए गए सिद्धांत के अनुरूप है।

उपरोक्त उक्ति के मद्देनजरए इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि सीआरपीसी की धारा 125 को विद्वान पारिवारिक न्यायाधीश द्वारा सही ढंग से लागू माना गया है।

फैमिली कोर्ट द्वारा पारित आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि उसने इस तथ्य पर ध्यान दिया है कि मईए 2009 में पति का वेतन 17,654/-. रुपये था। उसने मासिक वेतन 2,500/-. रुपये तय किया था। आवेदन जमा करने की तारीख से आदेश की तारीख यानी 17.2.2012 तक और आदेश की तारीख से पुनर्विवाह की तारीख तक 4,000/-. रुपये प्रति माह की दर से भरण.पोषण। उच्च न्यायालय ने राय दी है कि आवेदन की तारीख से भरण.पोषण प्रदान करते समयए न्यायिक विवेक का उचित रूप से प्रयोग किया जाना चाहिएए क्योंकि उच्च न्यायालय ने कहा है कि आवेदन की तिथि से 2,500/-. रुपये प्रति माह की दर से भरण.पोषण का अनुदान दिया जाता है। आदेश की तिथि तक संशोधन की मांग नहीं की गई।

विद्वान परिवार न्यायाधीश के दृष्टिकोण की पुष्टि करते हुए उच्च न्यायालय का उपरोक्त निष्कर्ष बिल्कुल सही है। लेकिन परेशान करने वाली बात यह है कि यद्यपि भरण.पोषण अनुदान के लिए आवेदन वर्ष 1998 में दायर किया गया थाए लेकिन 17.2.2012 तक इस पर निर्णय नहीं लिया गया था। यह भी चौंकाने वाली बात है कि अंतरिम गुजारा भत्ता

देने का कोई आदेश नहीं था। यह बताने के लिए किसी विशेष जोर देने की आवश्यकता नहीं है कि जब पत्नी द्वारा गुजारा भत्ता देने के लिए आवेदन दायर किया जाता है तो आवेदन के निपटान में देरीए कम से कमए एक अस्वीकार्य स्थिति है। वास्तव में यह एक चिंताजनक घटना है। भरण.पोषण अनुदान के लिए आवेदन का निपटारा यथाशीघ्र किया जाना चाहिए। पारिवारिक अदालतेंए जो वैवाहिक विवादों से निपटने के लिए स्थापित की गई हैंए जिनमें सीआरपीसी की धारा 125 के तहत आवेदन शामिल हैंए इसके प्रति बिल्कुल उदासीन हो गई हैं। भुवन मोहन सिंह बनाम मीना और अन्य में इस न्यायालय द्वारा व्यक्त की गई चिंता और पीड़ा निम्नलिखित प्रभाव वाली है।

पारिवारिक न्यायालय अधिनियम को विवाह और पारिवारिक मामलों और उससे जुड़े मामलों से संबंधित विवादों में सुलह को बढ़ावा देने और शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने की दृष्टि से पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना के लिए अधिनियमित किया गया था।

इस पहलू को उजागर करने का उद्देश्य यह है कि मौजूदा मामले में फैमिली कोर्ट के समक्ष कार्यवाही अधिनियम की वस्तुओं और कारणों और संहिता की धारा 125 के तहत प्रावधानों की भावना से अवगत हुए बिना आयोजित की गई थी। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि यह मामला फैमिली कोर्ट में नौ साल तक चलता रहा। न्यायालय के संज्ञान में यह आया है कि कुछ

अवसरों पर पारिवारिक न्यायालय नियमित तरीके से स्थगन दे रहे हैंए जिसके परिणामस्वरूप दोनों पक्षों को नुकसान होता है याए कुछ अवसरों परए पत्नी सबसे बुरी शिकार बन जाती है। जब ऐसी स्थिति आती है तो कानून का उद्देश्य पूरी तरह खत्म हो जाता है। पारिवारिक न्यायाधीश से मुद्दों के प्रति संवेदनशील होने की उम्मीद की जाती हैए क्योंकि वह विवाह और उससे जुड़े मुद्दों से संबंधित बेहद नाजुक और संवेदनशील मुद्दों से निपट रहा है। जब हम ऐसा कहते हैंए तो हमारा मतलब यह नहीं है कि पारिवारिक न्यायालयों को अनुचित जल्दबाजी या अधीरता दिखानी चाहिएए बल्कि अधीरता और किसी स्थिति से निपटने के लिए बुद्धिमानी से चिंतित और सचेत रहने के बीच अंतर है। एक पारिवारिक न्यायालय के न्यायाधीश को यह याद रखना चाहिए कि टालमटोल उसके सामने मामले का सबसे बड़ा हत्यारा है। यह न केवल अधिक पारिवारिक समस्याओं को जन्म देता है बल्कि धीरे.धीरे अकल्पनीय और एवरेस्टीनी कड़वाहट भी पैदा करता है। यह छिपी हुई भावनाओं के ठंडे प्रशीतन की ओर ले जाता हैए यदि अभी भी बचा हुआ है। पारिवारिक न्यायाधीश द्वारा लिस का चित्रण जागरूकता और संतुलन को प्रकट करना चाहिए। किसी भी पक्ष की विलंबकारी रणनीति से सख्ती से निपटा जाना चाहिएए क्योंकि पारिवारिक न्यायालय के न्यायाधीश को इस तथ्य के प्रति सचेत रहना होगा कि उनके सामने मामला भावनात्मक विखंडन से संबंधित है और देरी इसे बढ़ने में मदद कर सकती है। हम आशा करते हैं और विश्वास करते हैं कि

पारिवारिक न्यायालय के न्यायाधीश इसके प्रति सतर्क रहेंगे और अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों तथा भरण.पोषणए तलाकए बच्चे की अभिरक्षा से संबंधित विभिन्न प्रावधानों की योजना को ध्यान में रखते हुए मामलों को यथासंभव शीघ्रता से तय करेंगे। संपत्ति विवादए आदि।ष् ख्जोर दिया गया

जब उपरोक्त व्यथा व्यक्त की गयी तो यह आशा नहीं थी कि यह संकट किसी जादू.टोने से दूर हो जायेगा। हालाँकिए तथ्य यह है कि ये मुकदमे वास्तव में न केवल आज के मानवीय संबंधों को ख़राब कर सकते हैंए बल्कि आने वाले वर्षों में भी इसका प्रभाव पड़ेगा और समाज पर भारी असर डालने की क्षमता रखेंगे। यह या तो पार्टियों के अनियंत्रित डिजाइन या पारिवारिक न्यायालयों का संचालन करने वाले न्यायाधीशों द्वारा दिखाई गई सुस्ती और उदासीनता के कारण होता है। जहां तक पहले पहलू की बात है तो इन पर अंकुश लगाना न्यायालय का कर्तव्य है। इसमें जल्दबाजी की जरूरत नहीं है लेकिन न्यायालय के रवैये को दर्शाते हुए विलंब भी प्रकट नहीं होना चाहिए। दूसरे पहलू के संबंध मेंए यह न्यायालय का कर्तव्य है कि वह कार्यवाही पर पूर्ण नियंत्रण रखे और लिस को समय की अप्रत्याशित भव्य नदी में तैरने की अनुमति न देए बिना यह जाने कि वह कब तट पर उतरेगी या एक कोने के पेड़ पर आश्रय लेगी। जो नदी के किसी अज्ञात किनारे पर ष्स्थिरष् खड़ा है। वह इसे झरने का गीत गाने की अनुमति नहीं दे सकता। ष्आदमी आ सकते हैं और इंसान जा सकते हैंए

लेकिन मैं हमेशा के लिए चलता रहता हूँ। यह निर्णय प्रणाली के लिए सबसे बड़ी त्रासदी होगी जिसे पति.पत्नी या परिवार के अन्य सदस्यों के बीच वैवाहिक और घरेलू मामलों से संबंधित सबसे संवेदनशील मामलों से निपटने के लिए आवश्यक है। इस संबंध में एक सक्रिय दृष्टिकोण होना चाहिए और उच्च न्यायालयों के तहत कार्यरत न्यायिक अकादमियों द्वारा उक्त दृष्टिकोण को पारिवारिक न्यायालय के न्यायाधीशों में स्थापित किया जाना चाहिए। फ़िलहालए हम इससे अधिक कुछ नहीं कहते।

उच्च न्यायालय द्वारा मात्रा में कटौती के मामले मेंए यह देखा गया है कि उच्च न्यायालय ने सेवानिवृत्ति के बाद राशि में कटौती करके पति के प्रति अत्यधिक सहानुभूति दिखाई है। यह रिकॉर्ड में आया है कि पति को 17,654/-. रुपये मासिक वेतन मिलता था।

हाईकोर्ट ने बिना कोई कारण बताए मासिक भरण.पोषण भत्ता घटाकर 2000/- रुपए कर दिया है। आज की दुनिया में यह कल्पना करना बेहद मुश्किल है कि उनके जैसी हैसियत वाली महिला 2000/- रुपये प्रति माह के भीतर गुजारा करने की स्थिति में होगी। यह कभी नहीं भुलाया जा सकता है कि सीआरपीसी की धारा 125 के पीछे अंतर्निहित और मौलिक सिद्धांत वित्तीय स्थिति में सुधार के साथ.साथ मानसिक पीड़ा और पीड़ा को सुधारने के लिए है जो महिला को तब झेलनी पड़ती है जब उसे अपना वैवाहिक घर छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। क़ानून कहता है कि

कुछ स्वीकार्य व्यवस्थाएँ होनी चाहिए ताकि वह अपना भरण.पोषण कर सके। जब बच्चे उसके साथ होते हैं तो जीविका का सिद्धांत और अधिक बढ़ जाता है। यह स्पष्ट कर दिया जाए कि जीविका का अर्थ केवल जीवित रहना नहीं है और न ही ऐसा कभी होने दिया जा सकता है। एक महिलाए जो वैवाहिक घर छोड़ने के लिए बाध्य हैए को यह महसूस करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए कि वह अनुग्रह से गिर गई है और भरण.पोषण की व्यवस्था करते हुए इधर.उधर भटकती रहती है। कानून के मुताबिकए वह उसी तरह जीवन जीने की हकदार है जैसे वह अपने पति के घर में रहती। और यहीं पर पति की स्थिति और स्तर मायने रखता है और यहीं पर पति का कानूनी दायित्व प्रमुख हो जाता है। जब तक पत्नी को सीआरपीसी की धारा 125 के मापदंडों के तहत भरण.पोषण पाने की हकदार माना जाता हैए तब तक यह पर्याप्त होना चाहिए ताकि वह सम्मान के साथ रह सके जैसे कि वह अपने वैवाहिक घर में रहती है। उसे बेसहारा या भिखारी बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता इसमें कोई संदेह नहीं है कि धारा 125 सीआरपीसी के तहत आदेश पारित किया जा सकता है यदि कोई व्यक्ति पर्याप्त साधन होने के बावजूद पत्नी की उपेक्षा करता है या उसका भरण.पोषण करने से इनकार करता है। कभी.कभीए पति द्वारा यह दलील दी जाती है कि उसके पास भुगतान करने के साधन नहीं हैंए क्योंकि उसके पास नौकरी नहीं है या उसका व्यवसाय अच्छा नहीं चल रहा है। ये केवल गंजे बहाने हैं और वास्तव मेंए कानून में इनकी कोई

स्वीकार्यता नहीं है। यदि पति स्वस्थ हैए सक्षम शरीर है और खुद का भरण.पोषण करने की स्थिति में हैए तो वह अपनी पत्नी का भरण.पोषण करने के लिए कानूनी दायित्व के तहत हैए क्योंकि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता प्राप्त करना पत्नी का अधिकार हैए जब तक कि वह अयोग्य न होए एक पूर्ण अधिकार है। भरण.पोषण की मात्रा का निर्धारण करते समयए इस न्यायालय ने जबसीर कौर सहगल बनाम जिला न्यायाधीश देहरादून और अन्य के मामले में।13, निम्नानुसार आयोजित किया गया है

अदालत को पार्टियों की स्थितिए उनकी संबंधित जरूरतोंए पति की अपने भरण.पोषण के लिए उचित खर्चों को ध्यान में रखते हुए भुगतान करने की क्षमता और कानून और वैधानिक लेकिन अनैच्छिक भुगतान या कटौती के तहत बाध्य लोगों पर विचार करना होगा। पत्नी के लिए तय की गई गुजारा भत्ता की राशि इतनी होनी चाहिए कि वह अपनी स्थिति और अपने पति के साथ रहने के तरीके को ध्यान में रखते हुए उचित आराम से रह सके और यह भी कि वह अपने मामले की पैरवी करने में असमर्थ महसूस न करे। ण् साथ हीए इस प्रकार तय की गई राशि अत्यधिक या जबरन वसूली नहीं हो सकती।

16, इस न्यायालय द्वारा पत्नी को गुजारा भत्ता देने को सामाजिक न्याय का एक उपाय माना गया है। चतुर्भुज बनाम सीता बाईख्14, मेंए यह निर्णय दिया गया है

धारा 125 सीआरपीसी सामाजिक न्याय का एक उपाय है और विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए अधिनियमित किया गया है और जैसा कि कैप्टन रमेश चंद्र कौशल बनाम वीना कौशल में इस न्यायालय ने उल्लेख किया हैख्15, अनुच्छेद 39 द्वारा प्रबलित अनुच्छेद 15;3) के संवैधानिक दायरे में आता है। भारत के संविधान काण् इसका उद्देश्य सामाजिक उद्देश्य की प्राप्ति करना है। इसका उद्देश्य आवारापन और गरीबी को रोकना है। यह परित्यक्त पत्नी को भोजनए कपड़े और आश्रय की आपूर्ति के लिए एक त्वरित उपाय प्रदान करता है। यह किसी व्यक्ति के अपनी पत्नीए बच्चों और माता.पिता का भरण.पोषण करने के मौलिक अधिकारों और प्राकृतिक कर्तव्यों को प्रभावी बनाता हैए जब वे अपना भरण.पोषण करने में असमर्थ होते हैं। उपरोक्त स्थिति को सविताबेन सोमाभाई भाटिया बनाम गुजरात राज्य 16, में उजागर किया गया था।

कानून में यह स्थिति होने के कारण पति का दायित्व है कि वह अपनी पत्नी का भरण.पोषण करे। उसे यह दलील देने की अनुमति नहीं दी

जा सकती कि जब तक वह कमाने में सक्षम है तब तक वह वित्तीय बाधाओं के कारण पत्नी का भरण.पोषण करने में असमर्थ है।

17.इस संदर्भ मेंए हम चंद्र प्रकाश बोधराज बनाम शिला रानी चंद्र प्रकाश ख्17, में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले से एक अंश उद्धृत कर सकते हैंए जिसमें इस प्रकार राय दी गई हैरू .एक सक्षम युवक यह माना जाना चाहिए कि वह पर्याप्त धन कमाने में सक्षम है ताकि वह अपनी पत्नी और बच्चे का उचित रूप से भरण.पोषण कर सके और उसे यह कहते हुए नहीं सुना जा सकता है कि वह इतना कमाने की स्थिति में नहीं है कि वह परिवार के अनुसार उनका भरण.पोषण कर सके। मानक। यह ऐसे सक्षम व्यक्ति के लिए है कि वह न्यायालय को यह बताने के लिए ठोस आधार दिखाए कि वह अपने नियंत्रण से परे कारणों से अपनी पत्नी और बच्चे के भरण.पोषण के कानूनी दायित्व को पूरा करने के लिए पर्याप्त कमाई करने में असमर्थ है। जब पति खुलासा नहीं करता है न्यायालय को उसकी आय की सटीक राशि बताने पर उसके विरुद्ध उपधारणा आसानी से स्वीकार्य होगी।

18. कानून की उपरोक्त व्याख्या से यह स्पष्ट है कि जब पत्नी और बच्चों के भरण.पोषण का प्रश्न उठता है तो पति का दायित्व उच्च स्तर पर होता है। जब महिला वैवाहिक घर छोड़ती हैए तो स्थिति काफी अलग होती है। वह कई सुख.सुविधाओं से वंचित है। कभी.कभी जिंदगी पर भरोसा

कम हो जाता हैण् कभी.कभीए उसे लगता है कि उसने सबसे कोमल दोस्त खो दिया है। ऐसा महसूस हो सकता है कि उसका निडर साहस उसके लिए दुर्भाग्य लेकर आया है। इस स्तर परए कानून जो एकमात्र राहत दे सकता है वह यह है कि पति आर्थिक सुविधा देने के लिए बाध्य है। यही एकमात्र सुखदायक कानूनी मरहम हैए क्योंकि उसे नियति से इस्तीफा देने की अनुमति नहीं दी जा सकती। अतरू भरण.पोषण भत्ता देना विधि सम्मत है।

19.वर्तमान मामले मेंए जैसा कि देखा गया हैए उच्च न्यायालय ने भरण.पोषण की राशि को 4,000/-. रुपये से घटाकर 2,000/-. रुपये कर दिया है। जैसा कि स्पष्ट हैए उच्च न्यायालय इस तथ्य से बेखबर हो गया है कि उसे अपने दम पर रहना होगा। कहने की जरूरत नहीं हैए विद्वान पारिवारिक न्यायाधीश का आदेश स्पष्ट रूप से विकृत नहीं है। ऐसा कुछ भी प्रत्यक्ष नहीं है जो दर्शाता हो कि आदेश त्रुटियों का अभयारण्य है। वास्तव मेंए जब आदेश रिकॉर्ड पर साक्ष्य की उचित सराहना पर आधारित होता हैए तो किसी भी पुनरीक्षण अदालत को इस आधार पर हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए कि वह एक अलग या दूसरे निष्कर्ष पर पहुंचेगा। जब पर्याप्त न्याय हो चुका है तो हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं था। माता.पिता के घर में उसके सिर पर आश्रय हो सकता हैए लेकिन अन्य वास्तविक खर्चों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। केवल इसलिए कि पति सेवानिवृत्त हो गए थेए गुजारा भत्ता 50ः कम करने का कोई औचित्य नहीं था। यह कोई बहुत बड़ी दौलत नहीं है जो पत्नी पर बरसी हो कि वह कम

होने लायक हो। यह केवल दिमाग के गैर.प्रयोग को दर्शाता है और इसलिएए हम उक्त आदेश को बनाए रखने में असमर्थ हैं।

20. सिद्धांत बताने के बादए हम अपने परिणामी निष्कर्ष को रिकॉर्ड करने के लिए आगे बढ़ेंगे। लेकिनए एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपीलकर्ता द्वारा की गई पुष्टि से अनभिज्ञ नहीं रह सकते। यह दावा किया गया है कि प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता को निर्देशानुसार रखरखाव राशि का भुगतान करने के दायित्व से बचने के उद्देश्य से दिनांक 17.2.2012 के फैसले के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली थीय विद्वान परिवार न्यायाधीश द्वारा ध्यान में रखे गए प्रतिवादी का अंतिम आहरित वेतन मईए 2009 की वेतन पर्ची के अनुसार 17,564/- रुपये था और एएफपीपी फंड और एजीआई की कटौती के बादए प्रतिवादी का वेतन 12,564/-. रुपये था और इसलिएए प्रतिवादी के अंतिम मूल वेतन ;यानी रुण् 9,830/-) के आधार पर भी कुल पेंशन रुण् 14,611/-. होगी और यदि 40 कम्यूटेशन को ध्यान में रखा जाए तो प्रतिवादी की पेंशन राशि बनती है से 11,535/-.य और प्रतिवादी कोए अपनी पेंशन के अलावाए 40 की सीमा तक संराशीकरण का नकदीकरण यानी 3,84,500/-. रुपये और अन्य सेवानिवृत्ति बकाया यानी एएफपीपीए एएफजीआईए ग्रेच्युटी और 16 रुपये की छुट्टी नकदीकरण प्राप्त हुआ। ए 01,455/-.

21. उपरोक्त पहलू अनियंत्रित हो गए हैं क्योंकि प्रतिवादी.पति उपस्थित नहीं हुए हैं और उन्होंने मामले का विरोध नहीं किया है। इसलिए हम दावों को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। तथ्यों का यह प्रदर्शन हमें उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द करने के लिए प्रेरित करता है।

22. नतीजतनए अपील की अनुमति दी जाती हैए उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को रद्द कर दिया जाता है और पारिवारिक न्यायालय को बहाल कर दिया जाता है। लागत के रूप में कोई आदेश नहीं किया जाएगा।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक सुमन मुंडोतिया (न्यायिक अधिकारी) द्‌वारा किया गया है।

अस्वीकरणः- यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिये स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्‌देश्य के लिये इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और अधिकारिक उद्‌देश्यों के लिये, निर्णय का अंगे्रजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्‌देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।